पत्रांक :– 14 / अनु0 01–03 / 2016 का०...../

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

राँची, दिनांक.....

विषय :– **सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से सम्बन्धित नीति में संशोधन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से सम्बन्धित निर्गत परिपत्र सं0– 10167 दिनांक– 01.12.2015 की कंडिका(9)(ग) के अनुसार :–

"आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता प्रस्तावित पद के नियुक्ति नियमावली में विहित प्रावधान के अनुसार होगी।

किन्तु अन्य वांछनीय अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रस्तावित पद पर इस शर्त के साथ की जायेगी कि सेवा अवधि में वांछनीय अर्हता प्राप्त किये बिना उनकी सेवा की संपुष्टि नहीं होगी।"

2. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति मामले में सीधी भर्ती नियमावली के शर्त्तों को लागू करना न्यायोचित नहीं है क्योंकि भर्ती नियमावली सीधी नियुक्ति के मामले में गठित की जाती है जबकि अनुकम्पा से संबंधित मामले सीधी नियुक्ति के मामले नहीं हैं और यदि सीधी नियुक्ति के मापदंड को अनुकम्पा के मामले में लागू किए जायेगें तो हिन्दी टाईपिंग अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता होने पर अनुकम्पा का लाभ मृतक के आश्रित परिवार को शीघ्र दिया जाना कठिन हो जायेगा। हिन्दी टाईपिंग तकनीकी दक्षता है जिसे प्राप्त करने में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को समय लग सकता है और सेवाकाल में सरकारी सेवकों के असामयिक निधन के उपरान्त उनके आश्रित परिवार के जीविकोपार्जन का आधार अचानक समाप्त हो जाने के कारण उस परिवार को आर्थिक संकट से उबारने तथा परिवार को तत्क्षण आर्थिक सहायता पहुँचाने का राज्य सरकार के उद्देश्य की पूर्ति नही हो पाने के कारण यह मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त परिपत्र सं0–10167 दिनांक– 01.12.2015 की कंडिका ''(9)(ग) को निम्नवत संशोधित करने का निर्णय लिया गया है –

''9(ग) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता प्रस्तावित पद के नियुक्ति नियमावली में विहित प्रावधान के अनुसार होगी'', किन्तु हिन्दी टाईपिंग की शर्त्त शिथिल रहेगी और नियोजन हो जाने के उपरान्त परिवीक्षाधीन अवधि में हिन्दी टाईपिंग की निर्धारित गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विभागीय टंकण परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त वह संपुष्टि का पात्र होगा। इसके अभाव में न वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी, न ही सेवा संपुष्टि की जाएगी। विभागीय टंकण परीक्षा में उत्तीर्णता के उपरान्त पूर्व की स्थगित वेतन–वृद्धियाँ वैचारिक रूप से अनुमान्य होंगी, परंतु बकाया राशि (Arrear) देय नहीं होगी।''

विभागीय परिपत्र सं0–10167, दिनांक–01.12.2015 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(वंदना दादेल)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/ अनु0 01–03/2016 का०– ...../ रांची, दिनांक .....

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, झारखण्ड/महाधिवक्ता, झारखण्ड, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/ अनु0 01–03/2016 का०–3004 / रांची, दिनांक 06/07/2021

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

5.7.2021

सरकार के प्रधान सचिव।